Instructions are issued from time to time advising the departments to ensure that the employees wear uniforms while on duty.

(c) and (d) At present there is no proposal to discontinue the uniforms.

Letters received from M.Ps.

6503. SHRI MOHAMMED AFZAL ALIAS MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of letters written by the Members of Parliament to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions during the period from 1st April, 1994 to 31st March, 1995;

(b) what is the number of letters acknowledged out of them;

(c) what is the number of of letters in respect of which final replies were sent; and

(d) what is the break-up of final letters issued by the Ministry containing positive and negative replies, respectively?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) 685

(b) and (c) Out of the above 685 letters, final replies have been sent in respect of 505 letters. The remaining letters are in various stages of consideration.

(d) The information regarding nature of replies sent in individual cases is not being maintained.

आरक्षित सूची तैयार/रद्द करना

6504. श्री गोविन्दराम गिरीः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी नियमों के अनुसार सीधी भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची वर्तमान रिक्तियों के आधार पर ही बनायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षित चयन सूची बनाने का भी कोई प्रावधान है;

(ग) तो क्या मुख्य सूची के सभी अभ्यार्थियों को नियुक्ति देने के बाद भी आरक्षित सूची में शामिल किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा सकती है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा किए जाने पर उसे निरस्त करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (घ) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार पैनल का आकार विद्यमान तथा प्रत्याशित दोनों प्रकार की रिक्तियों की सुनिश्चित संख्या के बराबर होना चाहिए। कभी-कभी रिजर्व पैनल को प्रयोग, उस स्थिति के लिए किया जाता है जब चुने गए व्यक्तियों की सूची में से कुछ व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते, अथवा जब कोई रिक्त पद किसी चुने गए उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छह माह के भीतर पद से त्याग पत्र देने अथवा उसकी मृत्यु होने के कारण खाली होता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों से संबंध व्यक्तियों के लिए आवास

6505. श्री इकबाल सिंहः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण इलाकों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिये कोई प्रभावी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति लोगों एवं मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए दो ग्रामीण आवास योजनायें अर्थात इंदिरा आवास योजना तथा

ग्रामीण आवास योजना कार्यान्वित कर रही है। योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

1. इंदिरा आवास योजना:

इंदिरा आवास योजना को 1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में आरंभ किया गया था तथा अब यह जवाहर रोजगार योजना के एक भाग के रूप में 1989 में इसके आरंभ से ही चलायी जा रही है। समय के साथ इंदिरा आवास योजना के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य को इस प्रकार बढ़ाया गया है ताकि इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों तथा मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के अलावा गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को भी कवर किया जा सके। और अधिक निधियों के आवंटन के लिए निरंतर जारी भाग को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना हेतु क्षेत्रीय आबंटन को जवाहर रोजगार योजना के कुल आबंटन के 6% से 10% तक बढ़ा दिया गया है बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाला लाभ जवाहर रोजगार योजना निधियों के 4% से अधिक न हो। विगत दो वर्षों के दौरान राज्यवार लक्ष्य एवं उपलब्धियों विवरण में दी गयी हैं। (नीचे देखिए)

2. ग्रमीण आवास योजना

ग्रमीण आवास योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वालों एवं समाज के कमजोर वर्गों को आवास मुहैया कराने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करने एवं उनमें वृद्धि करने के लिए 1993-94 के दौरान आरंभ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 1992-93 में उनके द्वारा ऐसी योजनाओं पर किये गये खर्च के अतिरिक्त संस्थागत वित्त सहित ग्रामीण आवास के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये गये आबंटन की 50% से कम निधियां राज्यों को केन्द्रीय अनुदान के रूप में मुहैया करायी जाती हैं।

इस योजना के अन्तर्गत 1993-94 के दौरान निम्नलिखित राज्यों को 11 करोड़ रुपये रिलीज किये गये हैं:

राज्य	राशि (रुपये लाख में)
बिहार	700.00
उड़ीसा	206.50
गुजरात	176.00
त्रिपुरा	15.00
राजस्थान	2.50
कुल:	1100.00

1994-95 के दौरान निम्नलिखित राज्यों को 30.00 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गयी है:—

राज्य	राशि (रुपये लाख में)
राजस्थान	133.90
तमिलनाडु	15.00
हिमाचल प्रदेश	8.38
कर्नाटक	770.90
उड़ीसा	397.75
आं.प्र. प्रदेश	292.59
त्रिपुरा	100.00
गुजरात	495.10
जम्मू व कश्मीर	11.16
महाराष्ट्र	5.50
केरल	769.72
कुल:	3000.00

विवरण

इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

		1993-94 अनंतिम				
क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन (रुपये लाख में)	लक्ष्य संख्या	निर्मित मकानों की संख्या	खर्च (लाख रु॰ में)	रिपोर्ट भेजने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2462.01	49034	44297	5956.77	MAR. 94
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.25	222	120	26.83	AR
3.	असम	310.49	6209	4304	573.09	MAR. 94
4.	बिहार	4829.14	37396	83960	13664.36	MAR. 94
5.	गोआ	34.85	276	84	5.78	MAR. 94
6.	गुजरात	903.75	6598	7117	937.63	AR.
7.	हरियाणा	217.09	1843	1552	217.50	MAR. 94
8.	हिमाचल प्रदेश	110.73	809	629	84.37	MAR. 94
9.	जम्मू और कश्मीर	157.17	1024	390	45.02	AR
10.	कर्नाटक	1653.13	14197	8320	1270.11	MAR. 94
11.	केरल	623.83	13245	4227	1625.99	MAR. 94
12.	मध्य प्रदेश	3119.72	28399	48108	2931.17	AR
13.	महाराष्ट्र	2683.93	6974	18870	3109.84	AR
14.	मणिपुर	41.34	290	203	24.15	AR
15.	मेघालय	42.36	353	312	44.20	AR

1	2	3	4	5	6	7
16.	मिजोरम	20.38	185	240	33.21	AR
17.	नागालैंड	51.85	438	1536	222.72	MAR. 94
18.	उड़ीसा	1997.26	11649	10591	1433.93	AR
19.	पंजाब	163.43	5963	2739	704.33	MAR. 94
20.	राजस्थान	1296.13	11388	19959	2297.96	AR.
21.	सिक्किम	19.88	142	142	20.37	AR.
22.	तमिलनाडु	2225.62	18930	33758	4526.95	MAR. 94
23.	त्रिपुरा	53.69	431	636	108.42	AR.
24.	उत्तर प्रदेश	5999.84	44135	47722	535.69	AR.
25.	पश्चिम बंगाल	2206.32	19860	13389	1843.68	AR.
26.	अंडमान व निको०	15.27	120	21	15.57	AR.
27.	दादर व नगर हवेली	8.29	71	60	2.08	MAR. 94
28.	दमन व द्वीव	4.38	38	13	1.64	MAR. 94
29.	लक्षद्वीप	7.66	111	0	0.00	
30.	पांडिचेरी	14.95	79	43	6.65	AR.
	कुल.	31812.24	280363	360047	46450.49	

09.05.1995 तक इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

(रु॰ लाख में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन केन्द्र-राज्य				लक्ष्य (संख्या) 1994-95						
		प्रथम दौर	द्वितीय दौर	कुल	इकाई लागत (रु॰ में)	प्रथम दौर	द्वितीय दौर	कुल	निर्मित मकानों की सं॰	निर्माणाधीन मकानों की सं॰	खर्च (रु॰ लाख में)	रिपोर्ट भेजने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	2110.10	674.38	3334.38	14000	19357	4460	23817	46937	19494	5172.76	जनवरी, 95
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.75	0.00	32.25	15800	214	0	204	219	122	28.56	मार्च, 95
3.	असम	892.12	0.00	892.12	14990	5987	0	5987	6862	85	934.47	मार्च, 95
4.	बिहार	5315.56@	×723.13	7038.69	14000 से 15804$	74182	11067	85249	44476	44923	5420.46	जनवरी, 95
5.	गोआ	34.85	0.00	34.85	14000	249	0	249	201	49	5.97	मार्च, 95
6.	गुजरात	994.79	388.75	1383.54	14450	6884	2690	9574	7895	4730	1130.67	मार्च, 95
7.	हरियाणा	238.96	0.00	238.96	14000	1707	0	1797	3536	314	509.68	मार्च, 95
8.	हिमाचल प्रदेश	130.73	0.00	110.73	15800	701	0	701	853	0	126.24	
9.	जम्मू व कश्मीर	225.00	85.38	310.38	15800	1424	540	1954	1697	998	245.74	मार्च, 95
10.	कर्नाटक	1819.64	971.50	2291.14	14000	12997	3368	16365	11403	5302	1659.35	फरवरी, 95
11.	केरल	662.01	0.00	662.01	15800	12570	0	12570	3891	5297	712.38	मार्च, 95
12.	मध्य प्रदेश	3433.96	1524.38	4958.34	14000	24528**	10888	35416	48957	45067	3245.09	मार्च 95
13.	महाराष्ट्र	2954.27	1021.75	3976.02	14900	19827	6857	26684	22812	9323	3219.14	मार्च 95
14.	मणिपुर	43.34	0.00	41.34	15800	268	0	268	171	127	22.38	जनवरी, 95
15.	मेघालय	43.37	0.00	48.37	15800	306	0	306	191	33	66.70	फरवरी, 95
16.	मिजोरम	20.38	0.00	20.38	15800	129	0	129	202	24	33.75	फरवरी, 95
17.	नागालैंड	51.85	0.00	51.85	15800	328	0	328	895	0	141.41	मार्च, 95
18.	उड़ीसा	2198.44	724.38	2912.82	14450	15214	4944	20158	12544	7437	1842.02	मार्च, 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	पंजाब	199.93	0.00	169.93	14000	4855***	0	4855	2245	1088	236.68	दिसंबर, 94
20.	राजस्थान	1426.69	456.88	1883.57	14450	9873	3162	13035	28934	15105	2989.27	मार्च, 95
21.	सिक्किम	18.88	0.00	18.88	15800	119	0	119	54	65	9.27	फरवरी, 95
22.	तमिलनाडु	2449.79	325.50	2775.29	14000	17499	2325	19824	33176	12669	7619.52	मार्च, 95
23.	त्रिपुरा	53.69	0.00	53.69	15800	340	0	340	328	359	57.45	फरवरी, 95
24.	उत्तर प्रदेश	6104.16	833.50	7437.68	14450	45700	5768	51472	36451	0	7452.95	फरवरी, 95
25.	पश्चिम बंगाल	2428.53	612.50	3041.05	14000	17347	4375	21722	15456	117	2180.61	मार्च, 95
26.	अंडमान व निको० द्वीप	15.27	0.00	15.27	14000	109	0	109	21	106	15.98	मार्च, 95
27.	दादर व नगर हवेली	8.29	0.00	8.29	14000	59	0	59	18	0	3.48	फरवरी, 95
28.	दमन व द्वीव	4.88	0.00	4.88	14000	35	0	35	29	27	5.32	फरवरी, 95
29.	लक्षद्वीप	7.66	0.00	7.66	0	****	0	0	0	3.00	0.00	
30.	पांडेचेरी	14.95	0.00	14.95	14000	107	0	107	0	118	4.76	फरवरी, 95
	कुल	34987.28	8782.03	43769.31		292909	60444	353353	380110	172979	41181.06	

$ पहले दौर के अंतर्गत 17 जिले के लिए 14.000 रुपये ओर 33 जिलों के लिए 15.8000 रु० तथा दूसरे दौर के अंतर्गत 3 जिलों के लिह 14,000 रु० और 20 जिलों के लिए 15,800 रु०।

@यद्यपि राज्य सरकार ने 49,057 मकानों का बढ़ा हुआ लक्ष्य निर्धारित किया है 1% 00 शून्य जहां अवधि दी गयी है और जहां नहीं दी गयी है वहां योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। इसमें 6059.60 लाख रु० की राशि शामिल नहीं है जिस दस लाख कुओं की योजना से इंदिरा आवास योजना में लाया गया है।

*इसमें दस लाख कुओं की योजना से इंदिरा आवास योजना में लाये गये 6059.69 लाख रु० के लिए लक्ष्य शामिल है।

**इसमें 1234.02 लाख रु० के लिए लक्ष्य शामिल है (दस लाख कुओं की योजना के दूसरे/तीसरे आबंटन को इंदिरा आवास योजना के लिए उपयोग में लाने की अनुमति)।

***इसमें 509.78 लाख रु० के लिए लक्ष्य भी शामिल है (दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत आबंटित राशि को इंदिरा आवास योजना के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति)।

****सामान्य जवाहर रोजगार योजना निधियों के लिए इस्तेमाल की अनुमति।